संख्या–1942/33–3–2020 –212/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 **लखनऊ** **दिनांक 07 सितम्बर, 2020**

विषय–मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2019–20 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–81/2017/2170/33–3–2017–212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना** अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन **"हमारी पंचायत पोर्टल"** (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर दिनांक 15 सितम्बर, 2020 से प्राप्त किया जाना है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार"** वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नवत् उल्लिखित दिशा–निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाये :–

1– योजना का उद्देश्य :–

- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों को आदर्श मानकर अन्य ग्राम पंचायतें भी इन पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर स्वयं की प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगीं।
- पंचायतों को पूर्व निर्धारित शासकीय अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जागृत कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

2– सामान्य निर्देश :–

- ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2019–20 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावलियों को ऑनलाइन **"हमारी पंचायत पोर्टल"** के माध्यम से स्वः मूल्यांकन कर दिनांक **25 अक्टूबर, 2020** तक जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु फ्रीज किया जाना होगा।
- योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर पूर्ववत निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायेगा, जिनकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगा। समितियों का स्वरूप एवं दायित्व निम्नवत् उल्लिखित प्रस्तर–4 पर वर्णित है –

Amit Sri.

1— **राज्य स्तरीय समिति "राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति"(SPAC)**— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।

2— **जनपद स्तरीय समिति "जनपद परफारमेंस असेसमेंट समिति"(DPAC)**— जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।

- योजनान्तर्गत निम्नवत् उल्लिखित प्रस्तर–3 में प्रदत्त विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होगें, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जायेगा।
- जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों का सामान्य परीक्षण कर निदेशक, पंचायतीराज द्वारा वर्णित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन द्वारा कराया जायेगा। तदोपरान्त समिति द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या (राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित) से 02 अधिक ग्राम पंचायतें राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु ऑनलाइन फ्रीज की जायेगी।
- राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा यथा आवश्यकतानुसार निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापनोपरान्त पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अन्तिम सूची जारी की जायेगी।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्रावधानित बजट व्यवस्था अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
- **हमारी पंचायत पोर्टल** (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तरीय समिति **(DPAC)** के यूजर आईडी और पासवार्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ईमेल आईडी पर पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

3— **योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु विषय/क्षेत्र एवं अधिमानः—**

क्र0सं0	क्षेत्र	अधिमान (100)
1	शिक्षा	09 प्रतिशत
2	स्वच्छता प्रबंधन	22 प्रतिशत
3	पर्यावरण सुरक्षा	16 प्रतिशत
4	बेहतर/उत्तम स्वशासन	20 प्रतिशत
5	सामाजिक सौहार्द एवं सहभागिता	14 प्रतिशत
6	नियोजित विकास/ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी)	19 प्रतिशत

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019—20 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

4— **समितियों का गठन एवं दायित्वः—**

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC):—

Amit Sri.

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC) के दायित्वः–

1– जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।

2– ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन–लाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना।

3– ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना।

4– स्थलीय सत्यापन के पश्चात् निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति को उपलब्ध कराना।

5– सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।

6– ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु सचिव, ग्राम पंचायत का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराना।

7– पुरस्कार धनराशि सम्बंधी उपभोग प्रमाण पत्र पंचायतीराज निदेशालय को निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराना।

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC)–

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, अनुभाग–1/2/3, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उपनिदेशक, पंचायतीराज विभाग,उ.प्र.।	सदस्य संयोजक
13	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार ग्राम प्रधान जन एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (SPAC) के दायित्वः—

1— योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।

2— पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।

3— जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्राम पंचायतों की सूची का परीक्षण करना।

4— जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची की ग्राम पंचायतों का यथा आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन कराना।

5— सत्यापन के पश्चात् अनुमोदित सूची की ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

6— पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब—साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।

7— राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय—सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

8— पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं मुद्रण कराना।

9— प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।

10— योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।

11— योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

5— ग्राम पंचायतों के आवेदन तथा चयन प्रक्रिया :—

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं निर्धारित प्रश्नावली पर ऑनलाइन मूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में अंकन कर पुरस्कार हेतु आवेदन किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी **(DPAC)** ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑनलाइन फ्रीज करेगी। समिति प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के न्यूनतम दोगुना ग्राम पंचायतों का अंको के अवरोही क्रम में चयन करेगी।

जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निदेशक, पंचायतीराज द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन दल स्थलीय सत्यापनोपरान्त रिर्पोट समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी तथा रिर्पोट के परीक्षण पश्चात् सर्वाधिक अंक वाली ग्राम पंचायतों (**SPAC** द्वारा निर्धारित पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से 02 अधिक) की सूची पुरस्कार हेतु राज्यस्तरीय समिति को ऑनलाइन फ्रीज कर अग्रसारित करेगी।

इस प्रकार जनपदों से प्राप्त चयनित ग्राम पंचायतों की सूची का राज्य परफारमेंस असेसमेन्ट समिति **(SPAC)** द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा यथावश्यकतानुसार समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) के माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया जारी करने हेतु निदेशक, पंचायतीराज अधिकृत होगें। सत्यापन के दौरान किसी ग्राम पंचायत का कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो उस ग्राम पंचायत को सूची से हटाने के लिये राज्य परफारमेंस असेसमेन्ट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी। तत्पश्चात राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी **(SPAC)** प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों (**SPAC** द्वारा निर्धारित) को प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित करेगी। **SPAC** का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके उपरान्त कोई दावा मान्य न होगा।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संलग्न समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6– बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में शासन द्वारा किये गये आय–व्ययक प्रावधान रू0 2500.00 लाख में से वित्तीय वर्ष 2020–21 में चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफारसमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी।

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य माह अक्तूबर की तय सीमा तक पूर्ण करा दिये जायेगें यदि किन्हीं कारणों से कुछ कार्य रह जाते है अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर इस धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखा जा सकेगा।

7– पुरस्कार का स्वरूप

- **पुरस्कार धनराशि**– पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी।
- **प्रशस्ति पत्र।**

8– पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार **वितरण/सम्मान** समारोह में सम्मानित किया जायेगा। वस्तुतः राज्य/मण्डल में समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष के अगस्त एवं सितम्बर माह के मध्य में किया जायेगा। वर्तमान में चल रहे प्रतिबन्धों की तत्समय राज्य सरकार की लागू नीति के अनुसार ही पुरस्कार वितरण समारोह पर निर्णय लिया जा सकेगा।

शासनादेश संख्या संख्या–81/2017/2170/33–3–2017–212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,
Manoj 9.9.20
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः– तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।

Amit Sri.

4– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।

5– प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।

6– प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

7– विशेष सचिव एवं स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

8– विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–1 एवं 2, उ.प्र. शासन।

9– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

10– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।

11– निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।

12– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

13– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।

14– अपर निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

15– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।

16– समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

17– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

18– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

19– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Manoj 7.9.20

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

शासनादेश संख्या– /33–3–2020 –212/2017 दिनांक का संलग्नक

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारणी।

क्र0सं0	गतिविधि	दिनांक
1	प्रदेश के जिला परियोजना प्रबन्धकों को प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर कन्सलटेन्ट (आर0जी0एस0ए0) पंचायतीराज, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	10 सितम्बर, 2020
2	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पंचायत राज की बेवसाइट **'हमारी पंचायत पोर्टल'** (www.hamaripanchayat.up.gov.in) पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देखरेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भरकर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	15 सितम्बर से 25 अक्तूबर, 2020
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर जनपद स्तरीय स्थलीय सत्यापन हेतु न्यूनतम दोगुना ग्राम पंचायतों को चयन करना।	02 नवम्बर, 2020
4	जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निदेशक, पंचायतीराज द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन करना एवं सर्वाधिक अंक वाली ग्राम पंचायतों को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष ऑनलाइन फ्रीज करेगी।	22 नवम्बर, 2020
5	राज्य स्तरीय सत्यापन दल का गठन करना तथा सत्यापन दल को पंचायतों के स्थलीय सत्यापन की जानकारी हेतु निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना।	28 नवम्बर, 2020
6	राज्य स्तरीय सत्यापन दल द्वारा मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) के माध्यम से ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन किया जाना।	28 नवम्बर से 05 दिसम्बर, 2020
7	राज्य स्तरीय सत्यापन दल द्वारा सत्यापन रिपोर्ट निदेशालय को ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना।	10 दिसम्बर, 2020
8	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।	माह दिसम्बर
9	कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की धनराशि का हस्तान्तरण एवं पुरस्कार वितरण समारोह सम्पन्न किया जाना।	माह दिसम्बर

नोट :– 1– उक्त योजनान्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार समय–सारणी निदेशक, पंचायतीराज द्वारा संशोधित की जा सकेगी।

2– समयसीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रश्नावली 2020–21
मूल्यांकन वर्ष 2019–20

कुल पूर्णांक–100

<table>
<tr><th>प्रश्न संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>अधिकतम अंक</th><th>अंक प्रदान करने हेतु मानक</th><th>संबंधित दस्तावेज़</th></tr>
<tr><td colspan="2">शिक्षा</td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंगनबाडी की सुविधा से लाभान्वित बच्चों का विवरण।
<table><tr><th>पंजीकृत बच्चों की सं0– ... .</th><th>ऑगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों की सं0..</th><th>प्रतिशत</th></tr></table></td><td>03</td><td>(शत प्रतिशत को 3 अंक, 99–75 प्रतिशत तक 2 अंक, 74 अंक से 50 प्रतिशत तक 01 अंक)</td><td>आंगनबाड़ी रजिस्टर के विगत वित्तीय वर्ष की सत्यापित छायाप्रति</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अ– ग्राम पंचायत में बच्चों की शिक्षा तक पहुॅच की स्थिति।
<table><tr><td>ग्राम पंचायत में 06 से 14 वर्ष के बच्चों की कुल सं0–</td><td>विद्यालय जाने वाले बच्चों की सं0–</td><td>शिक्षा प्राप्त करने वाले उक्त आयुवर्ग के बच्चो के पंजीकरण का प्रतिशत</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>03</td><td>अ– (शत प्रतिशत को 3 अंक, 99–75 प्रतिशत तक 2 अंक, 74 अंक से 50 प्रतिशत तक 01 अंक)</td><td>विद्यालय रजिस्टर एवं शिक्षा विभाग का सेकेण्डरी डाटा (प्रमाणित अभिलेख)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ब– शासकीय विद्यालय में पंजीकृत बच्चों में से कितने बच्चों द्वारा प्राथमिक से अपर प्राथमिक की शिक्षा को बीच में छोड़ दिया गया है।
<table><tr><td>वर्ष 2018–19 में प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत बच्चों की कुल सं0–</td><td>वर्ष 2019–20 में अपर प्राथमिक में पंजीकृत बच्चों की सं0।</td><td>अपर प्राथमिक विद्यालय न जाने वाले छात्रों का प्रतिशत</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>03</td><td>(शून्य प्रतिशत को 3 अंक, 10 प्रतिशत तक 2 अंक, 20 प्रतिशत से अधिक की स्थिति में शून्य अंक</td><td>विद्यालय रजिस्टर एवं शिक्षा विभाग का सेकेण्डरी डाटा (प्रमाणित अभिलेख)</td></tr>
<tr><td colspan="2">स्वच्छता प्रबधंन</td><td>22</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>ग्राम पंचायत द्वारा अपनी पंचायत में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था की गयी है ? (सही का चिह्न लगाए)
◯ हॉ
◯ नहीं
यदि हॉ</td><td>6</td><td>हॉ की दशा में, प्रत्येक श्रेणी पर 1 अंक प्रदान किया जायेगा।</td><td>ग्राम पंचायत की कार्यवाही का रजिस्टर, फोटोग्राफ/वीडियो की सीडी, ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र आदि।</td></tr>
</table>

प्रश्न संख्या	प्रश्न	अधिकतम अंक	अंक प्रदान करने हेतु मानक	संबंधित दस्तावेज़
	1. किस प्रकार से अपशिष्ठ को एकत्र तथा निस्तारित किया जाता है ? **एकत्र–** • ग्राम पंचायत में परिवार की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाजनिक स्थानों पर कूड़ेदान की व्यवस्था है अथवा नहीं? **(कुल जनसंख्या के 01 से 02 प्रतिशत कूड़ेदान की संख्या होने पर ही अंक देय होगा)** • ग्राम पंचायत द्वारा की गई व्यवस्था से घर–घर जाकर अथवा परिवारों द्वारा स्वयं अपशिष्ठ केन्द्र/कूड़े दान में कूड़ा डाला जाना। **निस्तारित–** • ग्राम पंचायत द्वारा सूखे गीले कचरे को अलग–अलग करना, एवं अपशिष्ट को गॉव के बाहर अपशिष्ट निस्तारण केन्द्र में डाला जाना। • प्लास्टिक/पॉलिथीन को संग्रहित कर प्लास्टिक निस्तारण केन्द्र में डाला जाना। **उपयोग–** • कम्पोस्ट के रूप में कचरे का उपयोग, Recycle कर नये उत्पाद बनाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए एवं रोज़गार सृजन के लिये • वित्तीय वर्ष 2019–20 में कूड़े–कचरे से एक वर्ष में अर्जित आय। **(हां की स्थिति में ही अंक देय होगा)**			
5	ग्राम पंचायत द्वारा अपनी पंचायत में तरल अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था की गयी है ? (सही का चिह्न लगाए) ◯ हॉ ◯ नहीं यदि हॉ 1. पंचायत की सभी नालियों के पानी की निकासी तालाब में। 2. ग्राम पंचायत में स्थापित प्रत्येक हैण्डपम्प के पास सोख्ता गड्ढा का निर्माण। 3. 50 प्रतिशत से अधिक घरों में रसोई एवं स्नानागार से निकलने वाले पानी को किचन गार्डन से जोड़ा गया।	3	प्रत्येक 01 पर 01 अंक अथवा शून्य अंक।	ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर, फोटोग्राफ/ वीडियो, ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र।
6	ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं को खुले में शौच से मुक्त रखने हेतु निरन्तरता बनाये रखने के लिये किस प्रकार के प्रयास किये गये है ? • ग्राम सभा की बैठक में इस विषय के महत्व पर नियमित चर्चा करना एवं यह निर्णय पारित करना कि भविष्य में ग्राम में अनिवार्य रूप से कोई भी आवसीय भवन शौचालय युक्त ही निर्मित किया जायेगा। • वार्डवार बैठकों के माध्यम से समुदाय को प्रेरित करना।	3	प्रत्येक 02 पर 01 अंक अथवा शून्य अंक।	ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, फोटोग्राफ

प्रश्न संख्या	प्रश्न	अधिकतम अंक	अंक प्रदान करने हेतु मानक	संबंधित दस्तावेज़
	• रैली का आयोजन। • निगरानी समिति का उन्मुखीकरण। • विद्यालय में बच्चों का उन्मुखीकरण। • अन्य– (विवरण दें)			
7	ग्राम पंचायत में शौचालय उपयोग का प्रतिशत ? ◯ 100 प्रतिशत ◯ 75 प्रतिशत तक ◯ 50 प्रतिशत तक	2	(शत प्रतिशत को 2 अंक, 99–75 प्रतिशत तक 1 अंक, 75 अंक से कम शून्य अंक)	ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र अथवा सहायक विकास अधिकारी (पं0) का प्रमाण–पत्र एवं सत्यापन दल का आकलन
8	निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग ? ◯ 100 प्रतिशत ◯ 75 प्रतिशत तक ◯ 50 प्रतिशत तक	2	(शत प्रतिशत को 2 अंक, 99–75 प्रतिशत तक 1 अंक, 75 अंक से कम शून्य अंक)	एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर जियो–टैगिंग रिपोर्ट
9	क्या ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई नवाचार/विशेष उपाय किये गये है ? ◯ हॉ ◯ नहीं यदि हॉ तो कृपया विवरण दें। • पुराने वृक्षों का संरक्षण कर चबूतरे का निर्माण, जिसमें वृक्ष की जड़ों में जल प्रवाह की व्यवस्था की गयी है। • खेलकूद के मैदान का निर्माण। • प्रत्येक मार्ग के साथ नाली निर्माण।	6	हॉ की स्थिति में प्रत्येक विकल्प के 01 अंक	फोटोग्राफ/वीडियो/ संसुगत अभिलेख ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना एवं व्यय विवरण
	पर्यावरण सुरक्षा	**16**		
10	अ– गॉव पंचायत में 05 वर्ष से पुराने कितने वृषों को संरक्षित किया गया है? [05 वर्ष से पुराने कुल वृक्षों की संख्या | संरक्षित वृक्षों की संख्या | प्रतिशत] ब– गॉव पंचायत में 05 वर्ष से पुराने कितने फलदार वृषों को संरक्षित किया गया है? [05 वर्ष से पुराने कुल फलदार वृक्षों की संख्या | संरक्षित फलदार वृक्षों की संख्या | प्रतिशत]	अ के लिए 02 अंक एवं ब के लिए 02 अंक कुल 04 अंक	75 प्रतिशत से अधिक 2 अंक, 74 से 50 प्रतिशत होने पर 01 अंक एवं उससे कम पर शून्य अंक (अ एवं ब के लिए समान प्रक्रिया)	सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति

Sub-table अ:

05 वर्ष से पुराने कुल वृक्षों की संख्या	संरक्षित वृक्षों की संख्या	प्रतिशत

Sub-table ब:

05 वर्ष से पुराने कुल फलदार वृक्षों की संख्या	संरक्षित फलदार वृक्षों की संख्या	प्रतिशत

<table>
<tr><th>प्रश्न संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>अधिकतम अंक</th><th>अंक प्रदान करने हेतु मानक</th><th>संबंधित दस्तावेज़</th></tr>
<tr><td></td><td><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>ग्राम पंचायत में जल निकायों (Water Bodies)के संरक्षण एवं साफ–सफाई हेतु किये गये प्रयास।
अ–तालाबों को पॉलीथीन/प्लास्टिक मुक्त किया गया है।<table><tr><th>तालाबों की कुल संख्या</th><th>पॉलीथीन/प्लास्टिक मुक्त किये गये तालाबों की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>ब– तालाबों के चारों ओर वृक्षारोपण किया गया है।<table><tr><th>तालाबों की कुल संख्या</th><th>वृक्षारोपण किये गये तालाबों की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>अ के लिए 03 अंक एवं ब के लिए 02 अंक
कुल 05 अंक</td><td>अ–75 प्रतिशत से अधिक 03 अंक, 50 से 74 प्रतिशत को 02 अंक उससे कम की स्थिति में शून्य अंक
ब–75 प्रतिशत से अधिक 02 अंक, 50 से 74 प्रतिशत को 01 अंक उससे कम की स्थिति में शून्य अंक</td><td>ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर, फोटोग्राफ/वीडियो, ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>क्या ग्राम पंचायत के सभी कृषकों के पास "मृदा परीक्षण कार्ड" (Soil Health card) है ?<table><tr><th>कृषकों की संख्या</th><th>मृदा परीक्षण कार्ड कृषकों की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>75 प्रतिशत पर 02 अंक, 50 प्रतिशत पर 01 अंक</td><td>कृषि विभाग द्वारा इस आशय का प्रदत्त प्रमाण–पत्र</td></tr>
<tr><td>13</td><td>पंचायत के कितने प्रतिशत सभी पात्र परिवारों के पास घरेलू गैस कनेक्शन है?<table><tr><th>पात्र परिवारों की संख्या</th><th>घरेलू गैस कनेक्शन की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>2</td><td>75 प्रतिशत पर 02 अंक, 50 प्रतिशत पर 01 अंक</td><td>कनेक्शन प्राप्त परिवारों की सूची</td></tr>
<tr><td>14</td><td>क्या ग्राम पंचायत में पेयजल स्त्रोतों यथा–हैण्डपम्पों की नियमित गुणवत्ता जांच कराकर अशुद्ध जल पाये जाने पर चेतावनी का चिन्ह लगाया जाता है?<table><tr><th>कुल हैण्डपम्प की संख्या</th><th>गुणवत्ता की जांच किये गये हैण्डपम्प की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>3</td><td>(शत प्रतिशत को 3 अंक, 99–75 प्रतिशत तक 2 अंक, 75–50 प्रतिशत तक 01 अंक व 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक)</td><td>ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति, फोटोग्राफ एवं जांच की गयी एजेन्सी का प्रमाण–पत्र</td></tr>
<tr><td></td><td>बेहतर/उत्तम स्वशासन</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>क्या ग्राम पंचायत द्वारा निजी स्त्रोतों से स्वयं की आय में वृद्धि की गयी है।</td><td>3</td><td>5000से अधिक की स्थिति में 03 अंक,</td><td>ग्राम निधि अथवा कैशबुक में उक्त आय के जमा होने की</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>प्रश्न संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>अधिकतम अंक</th><th>अंक प्रदान करने हेतु मानक</th><th>संबंधित दस्तावेज़</th></tr>
<tr><td></td><td><table><tr><th>वर्ष 2018–19 की आय</th><th>वर्ष 2019–20 की आय</th><th>वृद्धि</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td>4999 से 2000 तक 02 अंक एवं 1999 से 1000 तक 01 अंक 999 से कम पर शून्य अंक</td><td>प्रवृष्टि एवं ऑडिट रिपोर्ट में अंकन</td></tr>
<tr><td>16</td><td>अ– क्या ग्राम सभा द्वारा वर्ष 2019–20 में निर्धारित 02 बैठकों अथवा अधिक का आयोजन ससमय किया जा रहा है ?<table><tr><th>निर्धारित बैठकों की संख्या</th><th>कुल बैठक का आयोजन</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>एवं
ब– क्या ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019–20 में सभी 12 बैठकों का आयोजन ससमय किया गया ?<table><tr><th>कुल ग्राम पंचायत बैठक</th><th>कुल बैठक का आयोजन</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>अ के लिए–2 एवं ब के लिए–3 कुल 06 अंक</td><td>अ– 100 प्रतिशत पर 02 अंक, 99 से 75 प्रतिशत पर 01 अंक एवं 74 प्रतिशत से कम शून्य
ब– 100 प्रतिशत पर 03 अंक, 99 से 75 प्रतिशत पर 02 अंक एवं 74 से 50 प्रतिशत 01 अंक एवं 50 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक</td><td>ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>17</td><td>क्या ग्राम पंचायत में किसी योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) की प्रक्रिया की गई है ?
हॉ
नहीं</td><td>2</td><td>हां की स्थिति में 02 अंक</td><td>सोशल ऑडिट रिपोर्ट</td></tr>
<tr><td>18</td><td>क्या ग्राम पंचायत द्वारा खाते का ससमय ऑडिट कराया जाता है और व्यय का ब्यौरा प्रिया–सॉफ्ट पर अंकित किया जा रहा है ?
हॉ
नहीं
यदि हॉ, संलग्न करें
• वर्ष 2016–17 की ऑडिट रिपोर्ट
• वर्ष 2017–18 की ऑडिट रिपोर्ट
• वर्ष 2018–19 की ऑडिट रिपोर्ट
•</td><td>3</td><td>हां की स्थिति पर प्रत्येक वर्ष के लिए 01 अंक</td><td>ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति, ऑडिट रिपोर्ट एवं कैश बुक</td></tr>
<tr><td>19</td><td>ग्राम पंचायत को तकनीकी रूप में सशक्त करने हेतु किया गया नवाचार ?
• सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना
• डिजिटल जन सूचना बोर्ड</td><td>5</td><td>प्रत्येक विकल्प के लिए 01 अंक</td><td>ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>प्रश्न संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>अधिकतम अंक</th><th>अंक प्रदान करने हेतु मानक</th><th>संबंधित दस्तावेज़</th></tr>
<tr><td></td><td>• पंचायत की स्वयं की वेबसाइट
• पब्लिक एड्रेस सिस्टम
• जनसुविधा केन्द्र</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>क्या ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु ग्राम पंचायत में पार्क/वाकिंग ट्रैक/ओपन जिम की व्यवस्था करायी गयी है?
हॉ
नहीं
यदि हां, तो विवरण दें?</td><td>2</td><td>हां की स्थिति में 02 अंक</td><td>ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति, क्रय किये गये सामान के बिल बाउचर एवं फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td></td><td>सामाजिक सौहार्द एवं सहमागिता</td><td>14</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>क्या ग्राम पंचायत द्वारा छुट्टा पशुओं (गौ वंश आदि)को व्यवस्थित करने के लिये किसी प्रकार के प्रयास किये गये है ? यदि हॉ, प्रयासों तथा उपलब्ध संसाधनों का संख्या एवं विवरण दें ?
हॉ
नहीं
विवरण–</td><td>2</td><td>हां की स्थिति में 02 अंक</td><td>ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर छायाप्रति व्यवस्था की फोटोग्राफ</td></tr>
<tr><td>22</td><td>क्या ग्राम पंचायतों के निवासियों जो बिजली का उपभोग कर रहे हैं के द्वारा वर्ष 2019–20 तक के समस्त बिजली के बिल का भुगतान किया गया है।<table><tr><th>उपभोक्ताओं की संख्या</th><th>बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या</th><th>प्रतिशत</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>4</td><td>50 प्रतिशत से अधिक की स्थिति में 4 अंक एवं 50 से 25 प्रतिशत तक 02 अंक तथा 25 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक</td><td>ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण–पत्र</td></tr>
<tr><td>23</td><td>क्या वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्राम पंचायत के किसी भी निवासी पर प्रशासन द्वारा निम्न विन्दु पर कानूनी कार्यवाही तो नहीं की गयी है? अथवा समस्त ऐसे विवादों को ग्राम पंचायत द्वारा आपसी सौहार्द से अपने स्तर से निस्तारित किया गया है (विवाद रहित ग्राम पंचायत) :–
• ग्राम पंचायत में चोरी/लूट की घटना।
• पशुओं की चोरी।
• बलात्कार एवं छेड़छाड की घटना।
• घरेलू अथवा सामाजिक हिंसा।</td><td>4</td><td>किसी भी श्रेणी में कोई अपराध दर्ज न होने की दशा में ही अंक देय होगा।</td><td>ग्राम पंचायत/थाने का प्रमाण–पत्र</td></tr>
</table>

प्रश्न संख्या	प्रश्न	अधिकतम अंक	अंक प्रदान करने हेतु मानक	संबंधित दस्तावेज़
24	क्या ग्राम पंचायत में मेड़ वन्दी एवं पानी की निकासी से हुए समस्त विवादों को अपने स्तर से निस्तारित किया गया है एवं किसी स्तर पर कोई वाद दर्ज नहीं हो? कुल विवाद की संख्या / निस्तारित किये गये विवादों की संख्या / प्रतिशत	4	100 प्रतिशत पर 04 अंक एवं 99 से 75 पर 03 अंक 75 से 50 प्रतिशत पर 02 अंक तथा उससे कम पर शून्य अंक	ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र तथा पुष्टि हेतु लेखपाल/थाने की रिपोर्ट
	नियोजित विकास–ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)	19		
25	**वर्ष 2020–21 की योजना निर्माण में जी.पी.डी.पी. के सभी चरणों का क्रियान्वयन किया गया–** ☐ वातावरण निर्माण ☐ ग्राम पंचायत की परिस्थिति विश्लेषण ☐ आवश्यकताओं/समस्याओं का प्राथमिकीकरण ☐ ड्राफ्ट कार्ययोजना का निर्माण एवं अनुमोदन ☐ कार्ययोजना की प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति ☐ कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया	3	प्रत्येक 02 विकल्प पर 01 अंक	ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर फोटोग्राफ
26	**ग्राम पंचायत विकास योजना में निम्न सेक्टर में से कितने सेक्टर संबंधी सामाजिक कार्यो को सम्मिलित किया गया है एवं वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना प्लान–प्लस/ई–ग्राम स्वराज साफ्टवेयर पर अपलोड की गयी है?** ☐ जल/पानी/पेयजल ☐ स्वास्थ्य एवं पोषण ☐ शिक्षा ☐ स्वच्छता ☐ कृषि	5	प्रत्येक विकल्प पर 01 अंक	पंचायत की कार्ययोजना
27	क्या वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना एवं वर्ष 2019–20 में कराये गये कार्यो एवं उनके आय–व्यय संबंधी जानकारी को दीवार लेखन/वॉल पेन्टिंग/फ्लैक्स बैनर/जन सूचना बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है ? कृपया एक या एक से अधिक पर चिन्ह लगाये– ○ वर्ष 2019–20 के आय–व्यय का दीवार लेखन किया गया। ○ वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना का दीवार लेखन किया गया।	2	प्रत्येक विकल्प के लिए 01 अंक	ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर फोटोग्राफ
28	प्रिया–सॉफ्ट/ई–ग्राम स्वराज साफ्टवेयर पर ग्राम पंचायत की वर्ष 2019–20 की वार्षिक पुस्तिका (ईयर बुक) बंद है ? ○ हॉ ○ नहीं	2	हां की स्थिति में 02 अंक	ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र प्रिया–सॉफ्ट वेबसाइट

प्रश्न संख्या	प्रश्न	अधिकतम अंक	अंक प्रदान करने हेतु मानक	संबंधित दस्तावेज़
29	वर्ष 2019–20 की जी.पी.डी.पी. कार्ययोजना में सोशल कार्य अन्तर्गत निम्न में से किन–किन को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की गयी है। ब्लॉक पर (✓) चिन्ह लगाएं– ☐ समुदाय द्वारा श्रमदान एवं सहयोग (चन्दा)। ☐ छः माह में एक बार हेल्थ कैम्प का आयोजन। ☐ शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूता हेतु बैठक/रैली का आयोजन। ☐ समुदाय में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने सम्बंधि प्रयास। ☐ शराब, तंबाकू तथा अन्य किसी भी प्रकार के नशे पर प्रतिबन्ध के प्रयास।	5	प्रत्येक विकल्प के लिए 01 अंक	ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की कार्यवृत्ति तथा ई–ग्राम स्वराज पर कार्य की भौतिक प्रगति
30	क्या वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की प्रश्नावली की वालपेटिंग ग्राम पंचायत के मुख्य 05 स्थानों पर की गयी है? ○ हॉ ○ नहीं	2	हां की स्थिति में 02 अंक	ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति फोटोग्राफ